

सेवा में,

- 1 पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना / सुरक्षा, उत्तराखण्ड
- 2 पुलिस उपमहानिरीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड
- 3 पुलिस उपमहानिरीक्षक सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार
- 4 पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीसी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल
- 5 पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा उत्तराखण्ड
- 6 समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक(प्रभारी जनपद) उत्तराखण्ड
- 7 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड
- 8 सेनानायक एसडीआरएफ, उत्तराखण्ड
- 9 पुलिस अधीक्षक रेलवेज, उत्तराखण्ड
- 10 पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) अभिसूचना देहरादून / हल्द्वानी
- 11 पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून
- 12 खण्डाधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग सेक्टर, देहरादून / हल्द्वानी
- 13 खण्डाधिकारी सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून / हल्द्वानी

विषय: रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस / अभिसूचना विभागीय पदोन्नति परीक्षा का आयोजन।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27-1-2021 समय 1700 बजे तक

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 एवं उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) संशोधन सेवा नियमावली 2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 36 पदों पर एवं उप निरीक्षक अभिसूचना के 25 पदों पर रैंकर उप निरीक्षकों के चयन विभागीय पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए निम्नांकित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना(पुरुष/महिला) एवं आरक्षी स0पु0 के आवेदन पत्र Online आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

1- पात्रता: निम्नांकित पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के मुख्य आरक्षी/आरक्षी(पुरुष/महिला) एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस, उक्त विभागीय पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे:-

(1) आयु: दिनांक 1-7-2020 को 45 वर्ष से अधिक न हो।

(2) अनुभव: दिनांक 1-7-2020 को पुलिस विभाग में भर्ती तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा(प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए) पूरी कर चुके हों।

नोट— जनपदों में नियुक्त कान्स0/हेड कान्स0 जिनका मूल लियन पीएसी है वे इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होंगे।

3—काडर आबंटन— कार्मिक को अंतिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबंटित हो तथा वह वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हो।

4— सेवा अभिलेख: विगत 5 वर्ष का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 5 वर्षों में कोई लघु दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गयी हो।

दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लंबित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुयी हो, अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लंबित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

2— इस पत्र के प्राप्त होते ही इसका विस्तृत प्रचार/प्रसार किया जायेगा। जनपद/इकाई से बाहर प्रतिनियुक्ति पर तैनात अथवा जनपद से बाहर कार्यरत अथवा अवकाश पर गये कर्मियों को सूचना सम्बन्धित जनपद/इकाई स्तर से तत्काल दे दी जाय।

3— उक्त विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन(online) भरे जायेंगे। ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाईट <https://uttarakhandpolice.uk.gov.in> पर लिंक <http://uksssc.in/UKPREC/PROM/Default.aspx> पर उपलब्ध है। उक्त विभागीय प्रोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि आवेदन पत्र में समस्त सूचना सही अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सत्यापन के उपरान्त

गलत पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र संबंधित जनपद/इकाई जहां वह अभ्यर्थी नियुक्त है के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र submit करने के उपरान्त संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(प्रभारी जनपद/इकाई) के कार्यालय द्वारा ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र में संबंधित अभ्यर्थी के सेवाभिलेखों की प्रविष्टियां भरी जायेंगी तथा सेवाभिलेखों की प्रविष्टियां भरने के उपरान्त आवेदन पत्र पुनः संबंधित अभ्यर्थी को प्रेषित किया जायेगा । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उसके सेवाभिलेखों की प्रविष्टियों का अवलोकन करने के उपरान्त उसके सेवाभिलेखों में प्रदान किये गये अंकों को सत्यापित करते हुए आवेदन पत्र पुनः संबंधित जनपद/इकाई को वापस भेजा जायेगा । यदि किसी अभ्यर्थी को उसके सेवाभिलेखों के अंकों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उसके द्वारा अभिलेखों के आधार पर आवेदन पत्र में आपत्ति का विवरण अंकित करते हुए संबंधित जनपद/इकाई को आवेदन पत्र वापस किया जायेगा तथा संबंधित जनपद/इकाई द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी की आपत्ति मान्य हो तो आपत्ति का निराकरण करते हुए पुनः संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उसकी आपत्ति के निराकरण का अवलोकन करने के उपरान्त घोषणा सहित पुनः आवेदन पत्र संबंधित जनपद/इकाई को वापस भेजा जायेगा तथा संबंधित जनपद/इकाई द्वारा आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सेवाभिलेखों के अंकों के संबंध में की गयी आपत्ति अभिलेखों के आधार पर मान्य नहीं हो तो तदनुसार उसको सूचित किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति के निराकरण से संतुष्ट होने के उपरान्त आवेदन पत्र पुनः संबंधित जनपद/इकाई को वापस भेजा जायेगा तथा संबंधित जनपद/इकाई द्वारा आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा । उक्त परीक्षा हेतु पात्र समस्त कर्मियों के ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र समस्त जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को ऑनलाईन अग्रसारित किये जायेंगे । इस कार्यवाही हेतु समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की तिथि	22-1-2021
2	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	27-1-2021
3	कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों का सत्यापन एवं अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों की ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने की तिथि	30-1-2021 तक
4	कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र पुनः संबंधित अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि	1-2-2021 तक

5	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में कार्यालय द्वारा अंकित की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित कर यदि कोई आपत्ति है/नहीं है की स्थिति में वापस कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि	2-2-2021 तक
6	यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में कार्यालय द्वारा अंकित की गयी प्रविष्टियों के संबंध में कोई आपत्ति की गयी है तो कार्यालय द्वारा आपत्ति का निराकरण कर(यदि आपत्ति मान्य है तो) वापस अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि तथा यदि आपत्ति मान्य नहीं हैं तो इस स्थिति में भी संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किये जाने की तिथि	4-2-2021 तक
7	संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पुनः आवेदन पत्र कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि	5-2-2021 तक
8	संबंधित जनपद/इकाई द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि	6-2-2021 तक
9	पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की तिथि	8-2-2021

4- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश एवं संबंधित जनपद/इकाई के कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र में सेवाभिलेखों की प्रविष्टियां करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाईट <https://uttarakhandpolice.uk.gov.in> पर लिंक <http://uksssc.in/UKPRECPROM/Default.aspx> पर उपलब्ध हैं । ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र भरने हेतु कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर हैल्पलाईन [promotionexamukp@gmail.com](mailto:promotionexamukp@gmail.com) पर संपर्क किया जा सकता है ।

5- समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(प्रभारी जनपद/इकाई) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद/इकाई में पदोन्नति हेतु गठित किये गये भर्ती सैल में आईटी विशेषज्ञ कार्मिकों को भी नियुक्त किया जाये । इसके अतिरिक्त सभी जनपद/इकाई में अलग से एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा जिसमें आईटी विशेषज्ञ कार्मिकों को नियुक्त किया जायेगा । जनपद/इकाई में नियुक्त किसी कर्मी को यदि ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित कर्मी द्वारा जनपद/इकाई में स्थापित किये गये भर्ती सैल/काउन्टर में संपर्क स्थापित किया जायेगा तथा भर्ती सैल/काउन्टर द्वारा

संबंधित कर्मी का ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र भरवाने हेतु कार्यवाही की जायेगी । सभी संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(प्रभारी जनपद/इकाई) का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने के इच्छुक एवं पात्र कोई भी कर्मी ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र भरने से वंचित न हो जाये ।

6- समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/इकाई का यह दायित्व होगा कि वे उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन(online) आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों का उनके सेंवाभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तथा आवेदन पत्र में संबंधित अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों का सही-सही अंकन करने के उपरान्त उनका आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को ऑनलाईन दिनांक 6-2-2021 समय 1700 बजे तक अग्रसारित करेंगे। इस तिथि एवं समय के पश्चात पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे ।

#### 7- लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	विषय	अधिकतम अंक
(1)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी	100 अंक
(2)	पुलिस प्रक्रिया	100 अंक
(3)	विधि	100 अंक

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घण्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी । ओएमआर शीट की एक कार्बन

प्रति संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा । चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पन्न कराई जायेगी तथा लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत किये जायेंगे । लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट <https://uttarakhandpolice.uk.gov.in> पर लिंक <http://uksssc.in/UKPRECPROM/Default.aspx> से ऑनलाईन(online) डाऊनलोड किये जायेंगे ।

8- लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा 35 मिनट में 05 कि०मी० की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों द्वारा 25 मिनट में 03 कि०मी० की दौड़ पूरी करनी होगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) उपरोक्तानुसार निर्धारित समय में पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन कराया जायेगा, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) निर्धारित समय में पूर्ण करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) परीक्षा हेतु गठित चयन समिति द्वारा आयोजित करायी जायेगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल/असफल अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूचियां चयन समिति द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेंगी।

9- सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु अंकों का निर्धारण:- सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे, जिनका निर्धारण/मानक निम्नवत् होंगे:-

सेवा अभिलेख 50 अंक

1-कोर्स 10 अंक अधिकतम

(क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स-	02 अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स	04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स	06 अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स	08 अंक

कोर्स के अंतर्गत 09 माह की अवधि के आधारभूत प्रशिक्षण के अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे । आधारभूत प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण रखे जायेंगे:-

1-कान्स0 के पद पर चयन के उपरान्त आर0टी0सी0(Recruit Training Centre) में प्राप्त रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण । कान्स0 भर्ती 2001 बैच के आरक्षियों द्वारा आर0टी0सी0(Recruit Training Centre) प्रशिक्षण के पश्चात पुनः 03 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण किया गया है । यह अतिरिक्त प्रशिक्षण भी आर0टी0सी0(Recruit Training Centre) प्रशिक्षण माना जायेगा । इस अतिरिक्त प्रशिक्षण के अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे ।

2-इण्डिया रिजर्व वाहिनी(आईआरबी) के लिए भर्ती किये गये आरक्षी जिनके द्वारा कुल 18 माह का प्रशिक्षण ग्रहण किया गया है जिसमें कि 09 माह का आर0टी0सी0(Recruit Training Centre) में आधारभूत प्रशिक्षण एवं 09 माह का सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के साथ अटैचमेन्ट प्रशिक्षण सम्मिलित है ।

उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त कोर्स/प्रशिक्षण के अंक सेवा नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुसार कोर्स/प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे ।

2-पुरुष्कार/पदक-25 अंक अधिकतम (क+ख)=25 अंक

(क)	प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक (अधिकतम 10 अंक)	
(ख)	राष्ट्रपति का पुलिस पदक	10 अंक
	प्रधान मन्त्री जीवन रक्षा पदक	10 अंक
	वीरता पुलिस पदक	10 अंक
	सराहनीय सेवा पुलिस पदक	08 अंक
	राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक	06 अंक
	मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक	06 अंक
	उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	04 अंक
	सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	02 अंक

3- पिछले 10 वर्ष का वार्षिक मन्तव्य- 15 अंक अधिकतम

(क)	Outstanding/ उत्कृष्ट/ सर्वोत्कृष्ट	02 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर
(ख)	Very good/ अति उत्तम/ बहुत अच्छा	01 अंक प्रत्येक मन्तव्य पर

नोट— यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक मंतव्य **Excellent** अंकित किया गया है तो उसकी गणना **Outstanding/उत्कृष्ट** में की जायेगी ।

10— ऋणात्मक अंक

- (क) विगत 05 वर्षों से पूर्व के प्रत्येक वर्ष की रोकी गयी सत्यनिष्ठा पर 05 अंक की कटौती होगी ।
- (ख) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 05 अंक की कटौती होगी ।
- (ग) विगत 05 वर्षों से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी ।
- (घ) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी ।
- (च) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी ।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होंगे, तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा ।

11—चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया हेतु दिशा—निर्देश निम्नवत हैं:—

- पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे, उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा ।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार संलग्न प्रारूप क के अनुसार जनपद प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे ।
- सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराये जायेंगे तथा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप ख के अनुसार भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये



हैं तथा उनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय कार्यवाही/अभियोग लंबित/विचाराधीन नहीं है ।

- समस्त जनपद/इकाई प्रभारियों द्वारा भी संलग्न प्रारूप ग के अनुसार संबंधित प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी की चरित्र पंजिका में समस्त कोर्स/पुरस्कार/पदक/वार्षिक मंतव्य/दण्ड/अभियोग की प्रविष्टि कर दी गयी है ।
- तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित जनपद प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख सहित चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- हेड कान्स0/कान्स0(अभिसूचना) के सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन का चार्ट अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख सहित पुलिस महानिरीक्षक अभि0/पुलिस उपमहानिरीक्षक अभि0 के माध्यम से चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- चयन समिति द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त अंतिम मूल्यांकन चार्ट तैयार किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाईट में सार्वजनिक करते हुए अभ्यर्थियों की आपत्तियां मांगी जायेंगी तथा आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख के चार्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा ।
- यह कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्ण की जायेगी। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन के दौरान यदि परीक्षा में सम्मिलित किसी अभ्यर्थी की पात्रता गलत पायी जाती है तो चयन समिति द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उसी स्टेज पर परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।
- लिखित परीक्षा निम्नलिखित 08 केन्द्रों में संपादित की जायेगी:-  
1-देहरादून 2-हरिद्वार 3-ऊधमसिंहनगर 4-नैनीताल  
5-अल्मोड़ा 6-पिथौरागढ़ 7-पौड़ी गढ़वाल 8-टिहरी गढ़वाल  
(कुम्भ मेला हरिद्वार में नियुक्त/संबद्ध कार्मिकों द्वारा परीक्षा केन्द्र हरिद्वार का विकल्प चुना जायेगा )
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त अन्तिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष

श्रेष्ठता के आधार पर रैंकर उप निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा ।

12- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उप निरीक्षक अभिसूचना के पद पर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु यह परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है अतः परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) में सफल होंगे को संलग्न प्रारूप घ के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प पत्र भी भरना आवश्यक होगा । संबंधित अभ्यर्थियों से विकल्प पत्र उनके सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन के दौरान ही भरवाया जायेगा । उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को उनके विकल्प एवं प्रवीणता सूची के अनुसार नागरिक पुलिस/अभिसूचना संवर्ग आबंटित किया जायेगा ।

13- उक्त परीक्षा प्रक्रिया हेतु मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

1-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी	सदस्य
3-सहायक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी	सदस्य

(चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा)

उपरोक्तानुसार चयन समिति का गठन करने हेतु आदेश मुख्यालय से अलग से निर्गत किये जायेंगे ।

14- परीक्षा प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे । कृपया इस पत्र का भली भांति अवलोकन एवं अध्ययन करके इसमें दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का कष्ट करें, यदि किसी स्तर पर कोई सन्देह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि उसका निराकरण तत्काल कराया जा सके ।

15- उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 एवं उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) संशोधन सेवा नियमावली 2019 के कतिपय प्रस्तारों में संशोधन करने हेतु प्रकरण वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस विभागीय पदोन्नति परीक्षा का अंतिम परिणाम

निर्गत होने से पूर्व यदि शासन द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाता है तो तदनुसार इस संबंध में शुद्धिपत्र निर्गत करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

16— यह विभागीय पदोन्नति परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: 1365/2020(एस/एस) पुष्कर दत्त भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या: 297/2020(एस/बी) सतेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

( पुष्पक ज्योति )  
पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक  
उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड
- 2—निदेशक सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड ।
- 3—पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण उत्तराखण्ड ।
- 4—पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल ।
- 5—पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र देहरादून ।
- 6—प्रतिसार निरीक्षक पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड ।
- 7—समस्त अनुभाग अधिकारी / गोपनीय सहायक / शाखा प्रभारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड ।

प्रतिलिपि: सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

विभागीय उप निरीक्षक रैंकर परीक्षा हेतु ब्राडशीट

1	क्र0स0	
2	अनुक्रमांक	
3	बैंज न0 नाम/पद	
4	पिता का नाम	
5	वर्तमान नियुक्ति	
6	जाति	
7	जन्मतिथि	
8	वर्ष	दि0 01.07. 20 को आयु
9	माह	
10	दिन	
11	भर्तीतिथि	
12	वर्ष	01.07.20 को कुल सेवा ग्रहण प्रशिक्षण अवधि को जोड़ते हुए
13	माह	
14	दिन	
15	शिक्षा	
16	प्रशिक्षण/कोर्स का विवरण	
17	नकद पुरस्कार	पुरस्कार र
18	पदक (यदि कोई हो)	
19	विगत 10 वर्ष का वार्षिक मन्तव्य Out Standing/ Excellent उत्कृष्ट/ सर्वोत्कृष्ट Very Good अतिउत्तम/ बहुत अच्छा)	
20	छुद्र दण्ड	विगत 05 वर्ष से पूर्व दण्ड का विवरण
21	लघु दण्ड	
22	दीर्घ दण्ड	
23	सत्यनिष्ठा रोके जाने का वर्ष	
24	विगत 05 वर्षों से पूर्व प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य का वर्ष	
25	विभागीय कार्यवाही/जॉच/ निलम्बन/ आपराधिक मुकदमों आदि का विवरण	
26	प्रशिक्षण (कुल 10 अंक)	
27	पुरस्कार व पदक( कुल 25 अंक)	
28	वार्षिक मन्तव्य(कुल 15 अंक)	
29	कुल योग(कॉलम 26 से 28 तक)	
30	छुद्र दण्ड 01 अंक	विगत 05 वर्ष से पूर्व दण्ड के ऋणात्मक अंक
31	लघु दण्ड 02 अंक	
32	दीर्घ दण्ड 05 अंक	
33	विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य पर 05 अंक	
34	सत्यनिष्ठा 05 अंक	
35	कुल योग ( 30 से 34 तक)	
36	कॉलम संख्या 29 में से 35 को घटाने के उपरान्त कुल अंक	
37	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

उप निरीक्षक रैंकर परीक्षा के संबंध में लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र

1- मैं .....S/O..... मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 वर्तमान समय में ..... में नियुक्त हूँ।

2- मेरे द्वारा अपने सेवा अभिलेख के मूल्यांकन चार्ट का भलीभांति अवलोकन कर लिया गया है। मेरी चरित्र पंजिका में मेरे द्वारा किये गये समस्त कोर्स/प्रशिक्षण, मुझे प्रदान किये गये नगद पुरस्कार/पदक की प्रविष्टि की गयी है। मेरे द्वारा अपने प्रत्येक वर्ष के वार्षिक मन्तव्य का अवलोकन कर लिया गया है। मैं यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे सेवाभिलेखों के अंक के विवरण निम्नवत् है-

1-कोर्स .....अंक      2-पुरस्कार/पदक .....अंक      3-वार्षिक मन्तव्य .....अंक  
कुल .....अंक

3- विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक मुझे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दीर्घ दण्ड, लघु दण्ड से दण्डित किया गया है /नहीं किया गया है और विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्रदान किया गया है/नहीं किया गया है तथा विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक मेरी सत्यनिष्ठता रोकी गई/ नहीं रोकी गई है।

4- मैं यह भी पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध वर्तमान में विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन है/नहीं है। मेरे विरुद्ध वर्तमान में कोई अभियोग विवेचनाधीन/विचाराधीन है/नहीं है।

5- मेरे द्वारा मुझे प्रदत्त दण्डों के विरुद्ध निर्धारित समयान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई/ नहीं की गई है।

-----हस्ताक्षर-----.

( नाम/पदनाम )  
नियुक्ति जनपद/इकाई/शाखा

उप निरीक्षक रैंकर परीक्षा के संबंध में लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा(दौड़) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि आरक्षी/मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष-2020 के परिप्रेक्ष्य में (नियुक्ति जनपद/इकाई/शाखा का नाम अंकित किया जाय) में नियुक्त (मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 का नाम अंकित किया जाय ) के नामांकन के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों का सही-सही अंकन किया गया है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का अंकन नहीं किया गया है।

2- उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 को विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक दीर्घ दण्ड/लघु दण्ड से दण्डित किया गया है /नहीं किया गया है और विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना को प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्रदान किया गया है/नहीं किया गया है तथा विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना की सत्यनिष्ठता रोकी गई/ नहीं रोकी गई है।

( नोट:- यदि सम्बन्धित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना को विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक दण्ड/प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य/सत्यनिष्ठता रोकी गई हो या दीर्घ/लघु दण्ड से दण्डित किया गया हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।)

3- उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना द्वारा उसे विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक प्रदत्त दण्डों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है/नहीं की गई है।  
(नोट: यदि अपील प्रस्तुत की गई है तो अपील की अद्यतन स्थिति का उल्लेख किया जाय। )

4- उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित है/नहीं है तथा सम्बन्धित मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 के विरुद्ध वर्तमान में कोई अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन/मा0 न्यायालय में विचाराधीन है/नहीं है।

(नोट: यदि प्रारम्भिक जांच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित है एवं माननीय न्यायालयीय वाद/मा0 न्यायालयों में अभियोग पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन है तो इसका स्पष्ट उल्लेख ( मु0अ0सं0/सम्बन्धित न्यायालय इत्यादि ) किया जाय। )

5- उक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 से उप निरीक्षक(रैंकर) नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह है/अनर्ह है।

( नोट: यदि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु अनर्ह है तो अनर्ह होने का स्पष्ट कारण अंकित किया जाय।)

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया के सम्बन्ध में भेजे जा रहे मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना के नामांकन के परिप्रेक्ष्य में किसी भी अर्ह/अनर्ह मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना, आरक्षी स0पु0 का नामांकन नहीं छोड़ा गया है।

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
पूरा नाम पदनाम सहित

विकल्प पत्र का प्रारूप

मैं हेड कान्स/कान्स0(नागरिक पुलिस/अभिसूचना), कान्स0 स0पु0.....  
..... अनुक्रमांक..... वर्तमान नियुक्ति..... रैंकर उप निरीक्षक  
परीक्षा(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) वर्ष 2021 के सापेक्ष उप निरीक्षक .....(नागरिक पुलिस ,  
अभिसूचना में से एक विकल्प अंकित किया जाये ) के पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प देता हूँ/देती हूँ ।  
मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा भविष्य में संवर्ग परिवर्तन हेतु कोई  
भी दावा/अनुरोध नहीं किया जायेगा ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी का नाम-बैच नंबर/पद/अनुक्रमांक